

GOVERNMENT OF INDIA केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

Central Public Works Department



विशेष महा निदेशक का कार्यातय 5 वातल पथम एम.एस.ओ. भवन, निजाम पेलेस 234/4 आचार्य जगदीश चंद्र ब्रोस रोड, कोलकाता पश्चिम बंगाल पिन-700 020

O/o Special Director General (PRK) 5th Floor, 1st MSO Building, Nizam Palace 234/4 AJC Bose Road, Kolkata West Bengal, PIN - 700 020



दूरभाष Telephone:033-2287 7415,फैक्स/FAX:033-2287 7415,ई-मेल/Email:ddghqer.cpwd@gov.in

पत्रांक: B-II/SDG(PRK)/Plg/437/1586(PE)

कोलकाता, दिनांक: 23 December, 2021

कार्यालय आदेश/Office Order

(संख्या/No : C-II/B&R/2021/017)

प्रस्तुत किए गए आवेदन के संदर्भ में, विशेष महानिदेशक, परियोजना क्षेत्र कोलकाता, केलोनिवि, कोलकाता निम्नलिखित ठेकेदार /फर्म का इस विभाग के श्रेणी-11 (भवन और सड़कें) वर्ग में सहर्ष सूचीकरण करते हैं । वे उक्त वर्ग में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 5 (पाँच) वर्ष की अविध के लिए र 15.00 करोड़ की सीमा तक केकेलोनिवि कार्यों हेत् निविदा देने के पात्र होंगे जो कि संबन्धित निविदा आमंत्रण सूचना और साथ ही साथ केलोनिवि सूचीकरण नियम 2021 तथा उनमे समय-समय पर हुए अगले संशोधनों में यथा निर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करने की दशा में प्रभावी होगा किन्त् इसके वावजूद भी निविदा देने की निर्धारित/संशोधित सीमा में परिवर्तन के विभाग के अधिकार पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहींपड़ेगा ।

With reference to their application, Special DG, Project Region Kolkata, CPWD, Kolkata is pleased to enlist the following contractor in Class II (Building & Roads) category of this Department. They shall be eligible to tender for CPWD works in the above category up to limit of Rs. 15.00 Crore for a period of 5 (Five) years w.e.f. the date of issue of this order, however subject to their meeting the eligibility criteria as laid down in the respective NIT as well as in CPWD Enlistment Rules 2021 and/or further amendments made thereof from time to time and for a specified limit as prescribed from time to time without prejudice to the rights of the Department to prescribe/modify the limits of tendering.

फ़ाइल संख्या/File No.	फ़र्म/ठेकेदार का नाम व पता/Name and Address of the Firm/Contractor	
B-II/SDG(PRK)/ Works/437	Darling Housing Pvt. Ltd. 17, Indra Nagar, Kanke Road, Ranchi: 834008 (Jharkhand) (A Private Limited Company of Ankur Anil, Anil Kumar Singh & Meenakshi Singh)	
10 miles	- And A	July
Ankur Anil	Anil Kumar Singh	Meenakshi Singh

Executive Engineer(W)(Civil)

- 2. वे उक्त वर्ग में सम्पूर्ण भारत संघ में केलोनिवि कार्यों हेतु निविदा देने के पात्र होंगे। They shall be eligible to tender for CPWD works in the above category in the in whole of the Indian Ur,
- 3. उन्हें निविदा/करार की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार निविदा के प्रत्येक पत्र के साथ बयाना राशि जमा करनी होगी।
 They shall be required to deposit earnest money with each application of the tender as per terms a conditions of the Tender/Agreement.
- उनके बिलों से प्रतिभृति निक्षेप की वस्ली, समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार की जाएगी।
 Security Deposit will be recovered from their bills in accordance with the rules in force from time to time.
- वे प्रत्येक संविदा/करार के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार अपेक्षित तकनीकी स्टाफ और/या औजारों एवं संयंत्रों का नियोजन करेंगे।
 - They shall employ the required **Technical Staff and/or Tools & Plants** as per terms and conditions of each contract/agreement.
- 6. सभी अवस्थाओं में अत्यधिक परिमाण वाली निर्माण कार्यों को करने में निपुण एक स्थायी अभियांत्रिकी संगठन को वे बनाये रखेंगे। अभियांत्रिकी स्टाफ और/या औजारों एवं संयंत्रों में परिवर्तन की स्थिति में वे तत्सम्बंधी परिवर्तनों की जानकारी देंगे। They shall be required to continue to have a permanent Engineering Organization capable of dealing with works of large magnitude in all stages. They shall be required to intimate changes in their Engineering Staff and/or Tools & Plants as and when such changes are made.
- 7. उन्हे निविदा आमंत्रण सूचना संविदा/ करार के निबंधनों एवं शर्तों का पालन ज्यों का त्यों अथवा समय समय पर किए गए परिवर्तन के अनुसार करने होंगे ।
 - They shall have to abide by the terms and conditions of the NIT/Contract/Agreement as they stand or as may be altered from time to time.
- 8. वे स्चीकरण प्राधिकारी कोस्चना के बिना अन्य कोई नई भागीदारी में प्रवेश नहीं करेंगे या विधमान भागीदारी/एकमात्र स्वामित्व में संशोधन नहीं करेंगे । यदि वे कोई नई भागीदारी के इच्छुक हों तो नये भागीदार/ विद्यमान भागीदार के साथ उनके सम्बंध, यदि कोई हो, के पूर्ण विवरण के साथ भागीदारी विलेख के मसौदे/शपथ पत्र तथा अपेक्षित दस्तावेजों सिहत उन्हें अग्रिम तौर पर सूचित करने होंगे। यदि सूचीकरण प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना ठेकेदार की 'व्यक्ति' की हैसियत अथवा फर्म के गठन में कोई परिवर्तन तथा नाम में कोई परिवर्तन होता है तो उस ठेकेदार/फ़र्म को ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में से निकाल दिया जाएगा ।

They shall not enter into any fresh partnership or modify the existing partnership/sole proprietorship without the prior intimation to the enlistment authority. In case, they shall enter into any partnership, they must intimate in advance with full details of the new partners/their relationship with existing partners, if any, along with the draft of the proposed partnership deed/affidavit and documents as required. Any change in status of the contractor as an 'individual' or in constitution of the firm without prior approval of the enlistment authority will render the contractor liable to be removed from the approved list of the contractors of the Department.

9. उन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उस परिमंडल में जो ठेके देने और उसके निष्पादन के लिए उत्तरदायी है जिसमे उसका नजदीकी रिश्तेदार मण्डल लेखाकार या अधीक्षण अभियंता एवं किन. अभियंता (दोनों सम्मिलित) की श्रेणियों के बीच किसी भी हैसियत के अधिकारी के रूप में तैनात हो, कार्यों के लिए निविदा देने की आज्ञा नहीं होगी। वे उन व्यक्तियों के नामों की सूची भी इस निदेशालय को देंगे जो किसी भी हैसियत में उनके साथ कार्य कर रहे हो तथा जो केलोनिवि में या आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में कार्यरत किसी राजपत्रित अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार हो। यदि ठेकेदार इस शर्त को भंग करेगा तो उसका नाम इस विभाग के ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा।

They shall not be permitted to tender for works in the CPWD Circle responsible for award and execution of contract in which their near relative is posted as Divisional Accountant or as an Officer between the grades of SE and JE (both inclusive). They would also intimate to this office the names of persons who are working with their and who are near relatives of any Gazetted Officer in CPWD or in the Ministry of Housing and Urban Affairs. Any breach of these conditions by the contractor will render their liable to be removed from the approved list of Contractors of the Department.

Executive Engineer(W)(Civil)

इस आदेश द्वारा अधिसूचित सूचीबद्धता का पुनर्वेधीकरण उनके नाम के विरुद्ध उपर्युक्त शर्तों के अधीन **5 (पाँच) वर्षों** की अविध के लिए वैध होगी। ठेकेदारों को अपने सूचीकरण के पुनर्विधीकरण के लिए निर्धारित फार्म में सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ इस प्रकार आवेदन करना होगा ताकि उनका आवेदन सूचीबद्धता के समाप्त होने वाली तारीख से कम से कम 6 महीने पूर्व सक्षम अधिकारी के पास पहुँच जाए।

The enlistment notified in this order is valid for a period of 5 (Five) years as mentioned against their name subject to conditions as stated above. The contractor will be required to apply for revalidation of their enlistment in the prescribed form, along with all required documents, so as to reach the enlistment authority at least 6(Six) months before the expiry of their enlistment.

- सूचीबद्धता की अविध के दौरान सूचीकरण नियम, 2021 के पैरा 6.2.7 के अनुसार उन्हे विभाग में उचित परिमाण में 11. कार्यों को सुनिश्चित करने होंगे। सूचीबद्धता की अविध के दौरान आवश्यक परिमाण में कार्यों को यदि वे स्निश्चित नहीं कर पाते है तो ऐसे ठेकेदारों की सूचीबद्धता का पूनवैधीकरण नहीं किया जाएगा।
 - They are required to secure works of appropriate magnitude in the department as per Para 6.2.7 of Enlistment Rules, 2021 during the period of enlistment. In case, they fail to secure works of required magnitude during the period of enlistment, the enlistment of the contractor is liable not to be revalidated.
- यदि भविष्य में उनके स्थायी पते (पंजीकृत/प्रधान कार्यालय) में कोई परिवर्तन होता है तो वे उसकी जानकारी देंगे। यदि वे 12. ऐसे परिवर्तन की जानकारी विभाग को नहीं देते है तो उनका नाम ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा। They shall also intimate the change in their permanent address (Regd. Office/Head Office), if any, in future. In case they fail to intimate such change to the department, their name shall be liable to be removed from the approved list of contractors.
- निष्पादित किए गए प्रत्येक कार्यों को कार्य पूरा होने के 3 माह के भीतर सूचीबद्धता प्राधिकारी को सूचित करते हुए अनुमोदित प्रारूप में आवश्यक जानकारियों सहित कार्य निष्पादन रपट (पीआर) भरकर संबन्धित कार्यपालक अभियंता के पास जमा करना उनके लिये अनिवार्य होगा।

It shall be mandatory for them to submit the performance report (PR) of each work executed by them in the approved format duly filled with all the required details to respective Executive Engineer within 3 months of completion of work under information to enlisting authority.

- 14. वे विभाग के सूचीकरण नियमों, समय समय पर यथा संशोधित, के प्रति आबद्ध रहेंगे। They shall be bound by the Enlistment Rules of the Department as amended from time to time.
- कार्यपालक अभियंता के पास रिकॉर्ड हेत् रखी गई इस आदेश की प्रतिलिपि या ठेकेदारों को जारी किए गए इस आदेश की प्रतिलिपि के आधार पर निविदा जारी की जाएगी।

Tender will be issued based on copy of this order on record with Executive Engineer or the copy of this order issued to the contractor.

यह विशेष महानिदेशक, परियोजना क्षेत्र कोलकाता के अन्मोदन से जारी किया जाता है। This is issued with the approval of Spl. DG, Project Region Kolkata.

उपरोक्त प्रावधानों के हिन्दी एवं अँग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की स्थिति में अँग्रेजी भाषा के प्रावधान मान्य होंगे। टिप्पणी:

Note: In case of any discrepancy in Hindi and English version, English version shall prevail

> (A.K. Asthana) Executive Engineer(W)(Civil)

सेवा में: (Speed Post):

- PS to Chief Engineer (W cum TLQA), Kolkata for uploading on ER page of CPWD Web Portal 1.
- The Labour Commissioner, 5th Floor, 2nd MSO Building, Nizam Palace, Kolkata-700 020
- Darling Housing Pvt. Ltd., 17, Indra Nagar, Kanke Road, Ranchi: 834008 (Jharkhand)
- Guard file. 4.

Spare copy.

23 12 2021 Executive Engineer(W)(Civil)